न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 13/191

जोगेन्द्र आत्मज श्री दर्शन सिंह आयु 62 वर्ष जाति सिक्ख निवासी भंवरिया कुआ तहसील व जिला बून्दी ।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तालेडा जिला बून्दी ।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 19.01.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2010 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला, बून्दी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत ग्राम भंवरिया कुआ तहसील व जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 49 रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि पर वादी पिछले 35 वर्षो से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । अतः वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी को राजस्व रिकॉर्ड से सिवायचक दुरूस्त कर हटाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में खेल खातेदार हटाया जाकर वादी का नाम खातेदार के स्थान पर अंकित किया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2010 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2010 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी ओर से पैरवी करने हेतु अभिभाषक को नियुक्त किया था और उन्होंने प्रत्येक तारीख पेशी पर आने से मना कर दिया और आवश्यकता होने से पर सूचित करने के लिए कहा परन्तु उनकी ओर से अपीलान्ट को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी समय पर प्राप्त नहीं हुई । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 24.06.2013 को अपीलान्ट अपने वकील साहब से मिला तब हुई जिस पर उक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजी माफी खेल भराई की थी और माफी रिज्यूम होने के बाद काबिज व्यक्ति ही खातेदार हो जाता है । वादी उक्त भूमि पर वर्षो से 40 वर्षो से भी अधिक समय से काबिज है तथा अन्य कोई दावेदार भी विवादित भूमि के सम्बन्ध में नहीं है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी को खातेदार घोषित करना चाहिए था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद निरस्त करने में त्रुटि की है । अब गॉव में कोई खेल भी नहीं है तथा नहरों का पानी आता है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि को माफी खेल भराई की भूमि रखने का कोई औचित्य नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2010 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खेल खातेदार दर्ज है जो सार्वजनिक उद्देश्य हेतु ग्रामवासियों के पशुओं के पानी पीने के काम में आती है । उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग हेतु छोडी गई भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2010 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाता है ।

10. हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया जिससे साबित है कि उक्त भूमि 'खेल खातेदार' दर्ज है जो सार्वजनिक उद्देश्य हेतु ग्रामवासियों के पशुओं के पानी पीने के काम में आती है । उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग हेतु छोडी गई भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति को

अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते । हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारित की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2010 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 19.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 13 / 191

जोगेन्द्र आत्मज श्री दर्शन सिंह आयु 62 वर्ष जाति सिक्ख निवासी भंवरिया कुआ तहसील व जिला बून्दी ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तालेडा जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश एवं डिक्री दिनांक 28.10.2010 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 200 / दावा / 2008

जोगेन्द्र आत्मज श्री दर्शन सिंह आयु 62 वर्ष जाति सिक्ख निवासी भंवरिया कुआ तहसील व जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तालेडा जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी .के निर्णय एवं डिकी दिनांक 28.10.2010..की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 19.01.2018 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री तेजमल जैन एवं प्रत्यर्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारित की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 28.10.2010 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं।

यह डिकी आज तारीख 19.01.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा